

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवसर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्यास-46) के किमी० 82.00 से किमी० 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी० में एच०डी०डी० तकनक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12'' (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/148458/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-301/81-2-2021-800(20)/2022 दिनांक 28 मार्च 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी हस्ताक्षर

Date: 28-03-2022 13:34:01

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित
(आशीष तिवारी)

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।